परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग की केदारनाथ विधान सभा के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण हेतु (पूर्व में 02 है0) संशोधित 0.99 है0 राजस्व वन भूमि हस्तान्तरण ।

परियोजना का औचित्य

मा0 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त शासनादेशों की प्रतियां प्रस्ताव में संलग्न की जा रही है।

परियोजना का **राजस्व वन भूमि** में निर्माण किये जाने का औचित्य निम्नवत है –

1- मा0 अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान के निर्माण कराने हेतु निर्देशित किया गया है । तल्लानागपुर क्षेत्र में निजी स्तर पर, ग्राम क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में उपयुक्त एवं उचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही **राजस्व वन भूमि** में पॉलीटेक्निक का निर्माण किया जाना है। (शासनादेश संलग्न)

2- जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत कुल वन पंचायत भूमि, कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि, कुल निजि भूमि तथा कुल आरक्षित वन भूमि के क्षेत्रफल का विवरण निम्नवत है ।

क्र0 स0	तहसील	कुल वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)
01	रुद्रप्रयाग	7464.036	8852.540	8656.982	127838.26
2	जखोली	667.889	3367.723	4351.768	
3	ऊखीमठ	10413.495	984.380	4758.030	
4	बसुकेदार	909.228	2093.053	2541.564	
5	कुल क्षेत्रफल जिला–रुद्रप्रयाग	19454.648	15297.696	20308.344	

3- चयनित भूमि के आस–पास उचित एवं उपयुक्त गैर वन भूमि उपलब्ध नही है एवं आस–पास के ग्राम स्तर पर, राजस्व स्तर पर, निजी स्तर पर भूमि की तलाश की गई, परन्तु निकटवर्ती स्थलो में पालीटेक्निक की स्थापना हेतु उचित एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही पायी गयी। आस–पास के 4 ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्त निजि भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र, राजस्व भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र इस समबन्ध में संलग्न किये गये हैं । (छायाप्रति संलग्न)

4- पालीटेक्निक के निर्माण हेतु राजस्व क्षेत्र में गैर वानिकी स्तर पर कोई भूमि उपलब्ध नही है। (प्रमाण पत्र संलग्न)

5- वन विभाग, राजस्व विभाग व प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा भी प्रस्तावित राजकीय पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण हेतु (पूर्व में 02 है0)संशोधित 0.99 है0 भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें उपलब्ध भूमि पॉलीटेक्निक के निर्माण हेतु उपयुक्त एवं उचित पायी गयी है । (छायाप्रति संलग्न)

6- पूर्व में A.I.C.T.E. के मानकानुसार संस्थान को शुरु करने के लिए कुल भूमि 05 एकड (2 है0) या उसे अधिक भूमि की आवश्यकता होती है जो कि पहाड व वन क्षेत्र होने के कारण एक साथ

उपलब्ध नही थी अतः प्रस्तावित 02 हे0 भूमि के क्षेत्रफल को 03 पैचों में बाटा गया था। वर्तमान में के द्वारा दिशा निर्देशों के कम में क्षेत्रफल की बाध्यता को समाप्त प्रर्याप्त भूमि जिसमें संस्था को चलाने हेतु सभी भवनों की आवश्कताए पूरी हो रही हों की आवश्यकता है । (प्रमाण पत्र संलग्न)

7- उक्त के कम में पूर्व में चयनित 02.हे0 प्रस्तावित भूमि 03 पैच में उपलब्ध थी। **वन भूमि हस्तान्तरण** के संबंध में दिनांक 13-09-2024 को भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून में FRCM की बैठक के एजेन्डा बिन्दु 02 पत्रांक IRO-DDN/FRCM/01/2022 दिनांक 01-10-2024 में उल्लेखित निर्देशों के अनुपालन में चयनित प्रथम पैच की 1.1 हे0 की भूमि में से केवल आवश्यक 0.99 हे0 संशोधित प्रस्ताव के लिए दिशा निर्देशित किया गया है।

8- पालीटेक्निक के निर्माण हेतु कुण्डादानकोट क्षेत्र मे अन्य कोई निजी भूमि उपलब्ध न होने के कारण **राजस्व वन भूमि** की स्वीकृति लेने के अलावा और कोई विकल्प शेष नही है। जिला प्रशासन द्वारा चोपता के निकट ही ग्राम कुण्डादानकोट नामक स्थान पर भूमि का चयन किया गया है जो कि वर्तमान में **राजस्व वन भूमि** का हिस्सा है तथा रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की कुण्डादानकोट राजि के अन्तर्गत आता है।

9- उक्त चयनित वन भूमि मोटर मार्ग के किनारे स्थित है एवं साथ ही बिजली, पानी की भी उपलब्धता है। जिससे पालीटेक्निक में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं अध्यापकों एवं स्टॉफ को यातायात, बिजली एवं पानी की भी सुविधा प्राप्त होगी।

10- चयनित स्थल का भू-वैज्ञानिक द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा भी प्रस्ताावित स्थल को पालीटेक्निक के भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया ।

11- चयनित सिविल सोयम भूमि पालीटेक्निक के निर्माण हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने में समस्त ग्रामवासी भी सहमत है।

12- उपरोक्त सभी कारणों से चयनित स्थल पालीटेक्निक के निर्माण के लिए अति उपयुक्त पाया गया है।

13- वर्तमान में उक्त पॉलीटेक्निक भवन के अभाव में कोल्लु भन्नू में किराये के भवन में संचालित है, संस्था में इस समय लगभग 76 छात्र-छात्राऐं अध्ययनरत है परन्तु उक्त भवन में सीमित स्थान होने एवं कक्षाओं की कमी के कारण पठन-पाठन का कार्य संचालित करने में अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है।

14- पालीटेक्निक के निर्माण होने के पश्चात राज्य व क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त होगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

15- पालीटेक्निक के निर्माण होने के पश्चात उपरोक्त वन भूमि विकसित होगी, जिससे वन्य क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगें।

16- जनपद का लगभग 71 प्रतिशत भू-भाग वन भूमि की परिधि में आता है एवं जिस पर वन अधिनियम लागू होता है, बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त सिविल सोयम भूमि चयन अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है। जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत गठित कर, स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

ह0
उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
चोपता, रुद्रप्रयाग ।
(मुहर: उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग)

(मुहर: उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग)

ह0 18/02/25
प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक
रुद्रप्रयाग।
(मुहर: प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता रुद्रप्रयाग)

231

प्रेषक,

संख्या– 790 / XLI-1 / 2013–79 / 13

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 22 अगस्त, 2013

विषय– जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संस्थान ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालित किया जायेगा।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार 15 दिन के भीतर भूमि, भवन, पाठ्यक्रम एवं पदों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अतः सम्बन्धित स्थान को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली।
4. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत कुल वन पंचायत भूमि, कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि, कुल निजि भूमि तथा कुल आरक्षित वन भूमि के क्षेत्रफल का विवरण निम्नवत है ।

क्र0 स0	तहसील	कुल वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)	कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर0मे0)
01	रुद्रप्रयाग	7464.036	8852.540	8656.982	127838.26
2	जखोली	667.889	3367.723	4351.768	
3	ऊखीमठ	10413.495	984.380	4758.030	
4	बसुकेदार	909.228	2093.053	2541.564	
5	कुल क्षेत्रफल जिला–रुद्रप्रयाग	19454.648	15297.696	20308.344	

ह0/–

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

ह0/–

उपवन संरक्षक

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) क्षेत्र में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु आस–पास के ग्राम स्तर पर कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है व चयनित वन भूमि (खसरा सं0 3308 मध्ये 0.040 हे0 भूमि, खसरा सं0 3391 मध्ये 0.700 हे0 भूमि, खसरा सं0 4158 मध्ये 0.400 हे0 भूमि, खसरा सं0 4059 मध्ये 0.860 हे0 भूमि) पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है, आवेदित 2.00 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इसे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना संम्भव नही है ।

04-03-2022
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत कुण्डा दानकोट
ह0 ...
दि0 04.03.22
अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत ...
ह0 ...
ख0– अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत ...
ह0 ...
दि0 04.03.22

प्रधान ग्राम पंचायत ...
ह0 ...
04.03.22
अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विद्यानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) क्षेत्र में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु राजस्व क्षेत्र गैर वानिकी स्तर पर कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है व चयनित वन भूमि (खसरा स0 3308 मध्ये 0.040 हे0 भूमि, खसरा सं0 3391 मध्ये 0.700हे0 भूमि, खसरा सं0 4158 मध्ये .0400 हे0 भूमि, खसरा सं0 4059 मध्ये 0.860 हे0 भूमि) पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है, आवेदित 2.00 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इसे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नही है । सत्यापित

15/3/2022
रा0 इ0 का0
चोपता।

CS

Tahr(R)
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विद्यानसभा के अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु अर्थात 2.00 है0 (वन सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव) के निर्माण हेतु ग्राम–कुण्डादानकोट की सिविल भूमि चयनित कि गयी है, उक्त भूमि के अतिरिक्त चयनित स्थल के आसपास ग्राम स्तरों (ग्राम–तडाग,गौरणा,कोलू–भन्नू, कुण्डा दानकोट) में उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वृक्ष विहिन भूमि उपलब्ध कराने हेतु बैठक की गयी, जिसमे उक्त परियोजना हेतु अन्यंत्र उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही पायी गयी। इसके अलावा राजस्व स्तर पर भी क्षेत्र के आस पास परियोजना के निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई।

अतः उक्त परियोजना हेतु चयनित 2.00 है0 सिविल भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र–चोपता जारवणी
तहसील-रुद्रप्रयाग
जनपद-रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
(रुद्रप्रयाग)
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
(रुद्रप्रयाग)
उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
(रुद्रप्रयाग)
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र –04

परियोजना का नाम – जनपद रूद्रप्रयाग की केदारनाथ विधान सभा के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण हेतु (पूर्व में 02 है0) संशोधित 0.99 है0 राजस्व वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण –पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 29–10–2024 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की और से **श्री जयवीर लाल वन दरोगा** धिमतोली अनुभाग राजस्व विभाग की और से **श्री जयवीर सिह** रा0उ0 नि0 चोपता प्रस्ताव विभाग की और से **श्री अनुराग नैथानी**, प्रधानाचार्य रा0पा0 चोपता **श्री एस0के0वर्मा** उपनिदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर गढवाल **श्री दिनेश कुमार** विभागाध्यक्ष सिविल रा0पा0 कुलसारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि **शून्य** हे0 राजस्व वन भूमि0 **0.99** हे0 पंचायत वन भूमि0 **शून्य** हे0 एवं नाप भूमि0 **शून्य** प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यून्तम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/स्थल को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया गया है।

आवेदित वन भूमि में **20** वृक्षों व नाप भूमि पर **शून्य** वृक्षों का पातन निहित है. जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि के अक्षांश–देशान्तर निम्न प्रकार है।

कॉस सैक्सन	अक्षांस	देशान्तर
1	N. 30°21'03"	E. 79°03'07"
2	N. 30°21'03"	E. 79°03'05"
3	N. 30°21'04"	E. 79°03'03"
4	N. 30°21'05"	E. 79°03'01"
5	N. 30°21'05"	E. 79°03'00"
6	N. 30°21'06"	E. 79°03'01"
7	N. 30°21'05"	E. 79°03'03"
8	N. 30°21'05"	E. 79°03'04"
9	N. 30°21'05"	E. 79°03'06"
10	N. 30°21'05"	E. 79°03'07"

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

ह0/–
राजस्व विभाग
जयवीर सिंह राणा
रा0 उ0 नि0 चोपता
तहसील रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

ह0/–
वन विभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

ह0/–
प्रस्तावक
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

श्याम सिंह राणा
अपर जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप निदेशक
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ANNEXURE-3

Norms for Land and Built-up Area Requirements of the Technical Institutions

3.1 Land Requirements for the Technical Institutions

For establishing an Institution offering Diploma/UG/PG Level courses in technical Programmes, the buil requirement will be calculated based on the approved intake and duration of the course per programme. required for the same will be based on prevailing FSI/FAR norms applicable for that location as declar respective competent authority to house the required built-up area as per norms. The same shall be applical Institutions to be established/ already established in Mega/Metro/Urban/Rural areas.

For the Land area requirements, the following conditions need to be adhered:

a. Institute shall have sufficient built up area to cover all the requirements of ALL the prograı conducted as per the provisions of Approval Process Handbook.

b. The Built-up area requirements as specified in the Approval Process Handbook (which is in- adhered to.

c. The Built-up area, achieved has to be approved by the concerned Development Authority c latest Building Bye-Laws (Development Controls) in that City/Town. Copy of the approved P with the Completion Certificate/ Occupancy certificate issued by the concerned State Gc authority needs to be provided. In case of partial/ provisional Occupancy Certificate issu State Government authority, the same shall be considered only for 2 consecutive Academic Ye

d. Fire and life Safety Certificate from Fire Department of the concerned State Government a to be taken before submitting the application at AICTE.

e. Additional Course(s)/Programme(s), in future can be allowed subject to the availability c areas as per FSI (FAR). However, if the additional construction is to be undertaken in th Building, then Structural Stability Certificate and Certificate of Safe Foundation to be provi Structural Engineer having a Master's Degree with specialization in Structural Engineering.

f. The total Built-up area is to be calculated for the entire duration of the Course with mandc sanctions and approvals from Competent Authority for the entire proposal.

g. The Land area required shall be in a maximum of THREE plots. The Academic, Instructional trative and Amenities area shall be in one plot. The distance between the plots shall not exce The remaining Land shall only be utilized for sporting Infrastructure/ Hostel/ Staff accom and related educational activities of the Institution. In such cases, adequate commutati between the plots shall be provided for the students and staff members.

h. Considering the hilly nature of Land in North Eastern States and the hilly regions of State Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu & Kashmir and Ladakh's UT or any area in declared as hilly by the concerned Government, Land shall be made available in 3 pieces not away from each other by more than 2 km. In such cases, adequate commutation facility the plots shall be provided for the students and staff members.

i. The institute shall provide ample space for play-ground (owned or hired) facilities for in outdoor sports for the students either in the Campus or through arrangements with other Institutions, Corporation grounds, private facilities, etc.

NOTE:

i. Starting other educational Course(s)/ Institutions (Technical/Non-Technical) in the surplus Built-up area arising out of the prevailing/ reduced norms of Land requirement is permi Further such surplus Land shall be used as per the Land Use Certificate given to the Trust/ S Company by the concerned authority, subject to such Course(s)/ Institution sharing thei facilities to conduct such Programmes without sharing the essential facilities, such as Class Laboratory etc. with the already approved Technical Institution. However, Common Amenities su as Administrative infrastructure, Canteen, Auditorium, Playground, Parking, etc. may be shared, provided it caters to all the students of all the Programmes.

ii. For Change of Site/ Location or to start new Programme/ Level in the existing Institutions, mo of land is acceptable.

iii. There is no separate Land required for existing Non-Technical Institutions offering Under Gra Post Graduate Programme/Courses in Computer Application/Management.

3.2 Minimum Built-up Area Requirements

a. The Institution area is divided into, Instructional area (INA, carpet area in m^2), Administrative (ADA, carpet area in m^2), Amenities area (AMA, carpet area in m^2).

b. Access and Circulation Area (ACA) is around 25% of Built-up Area.

c. Total Built-up area in m2 is equal to (INA+ADA+AMA) + (ACA).

d. In case of allied branches in Engineering and Technology, a maximum of 50% of Laboratorie be shared.

e. For Post Graduate Programmes, Administrative area of Under Graduate Programmes may be s

f. Institutions shall have the Barrier free environment and Sports facilities as specified in the Chapter VII of

3.2.1 Instructional Area

Particulars	Minimum Number of Rooms required	Carpet Area in Sq. mper Roo
A. Engineering and Technology (Diploma/Under Graduate/ Post Graduate Degree/ Integrated/Dua Degree) Institutions		
Class Rooms	Total Number of Divisions per year x Total Duration of course in years x 0.5	66(For a division of 60) 33(For a division of 30)
Tutorial Rooms+	25% of total Class Room	33
Laboratory for First Year	4 (which includes 2 Laboratories for Basic sciences) : Up to an intake of 600	66
Laboratory other than First Year	2 per Course per Year up to an intake of 180 per course	66
Laboratory for Post Graduate Courses	1 per Course	66
	1 Research Laboratory	66
Workshop	1 (Up to an intake of 600) +1 for an intake of 601-1200	200
Additional Laboratory/Workshop		200 (For UG)

Computer Centre	1(Up to an intake of 600) +1 for an intake of 601-1200	150
Seminar Hall	1	132
Library++	1	400
Language Laboratory+	1	33

- For Courses having more than 3 Divisions, additional Laboratories equivalent to the required numb pro rata basis for the said Courses shall be created.
- "X" Category Courses such as Mechanical, Production, Civil, Electrical, Chemical, Textile, Marine, Aeronautical and Allied/Relevant Courses shall require an Additional Laboratory/ Workshop.
- Infrastructure Requirement shall be calculated on prorata basis for institutions having "Approved Int greater than 1200.

B. Planning (Under Graduate/ Post Graduate Degree/ Integrated Degree) Institution (Up to an intake of 120)

Class Rooms	Total Number of Divisions per year x Total Duration of course in years x 0.5	60 (For UG) 30 (For PG)
Resource Centre	1	80
Computer Laboratory (First Year)	1	60
Studio (other than First Year)	1 per Course per Year	120
Post Graduate Studio	2	60
Model making and Carpentry Workshop	1	120
Art Court	1	100
Multi-Purpose Hall	1	150
Research Laboratory*	1	60
Computer Centre	1	75
Seminar Hall	1 per Under Graduate Institution	132
	1 per Diploma Institution	132
Library++	1	150
Language Laboratory#	1	30

C. Applied Arts and Crafts (Diploma/ Under Graduate/ Post Diploma/ Post Graduate Degree) Insti (Up to an intake of 90)

Class Rooms	1 Room per Division per Year	66 (For Diploma & UG) 33 (For PG)
Tutorial Rooms+	25% of total Class Room	33
Workshop/Studio	1 per Course per Year	66
Common Workshop/Studio	1	90
Workshop/Studio(Post Graduate Courses)	1 per specialization	66
Studio/Display Room	1	132
Craft Centre	1	66
Computer Centre	1	75

NOTE: 1. Institutions shall satisfy the total of Amenities & Administrative area as mentioned above. However, the individual areas for each particular mentioned above shall be decided by the Institution as per the standard norms followed (refer NBCC).

2. Adequate Number of Toilets shall be provided for Ladies and Gents based on the total student staff members available in the campus and the same shall be maintained hygienically.

3. Access and Circulation area (ACA) of 25% of sum of Instructional, Administrative and Amenitie area is desired for covering common walkways, staircases and entrance lobby.

3.5 Land Requirement

Land Requirement in Mega & Metro, Urban and Rural areas shall be decided based on FSI / FAR applicable to the respective areas under the concerned Municipal Corporation or the Local Authori approves the Building Plans or the State Government / UT. However, the Institutions may refer the pr Approval Process Hand Book for more details.

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग